उत्तरांचल शासन,
राजस्व विभाग
संख्याः प्र०अ०-62/18(1)/2005
देहरादूनः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1972) (उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्यपाल "उत्तरांचल राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण" देहरादून को, जिस पर राज्य सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण है, उक्त अधिनियम के लिए निगम के रूप में विर्निदिष्ट करते हैं।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एंव मुद्रित विज्ञप्ति की अंग्रेजी व हिन्दी की 25-25 प्रतियॉं राजस्व विभाग एंव पशुपालन (मत्स्य) विभाग, उत्तरांचल शासन तथा समस्त जिलाधिकारियों को भेजने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- मण्डलायुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
3- सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तरांचल शासन।
4- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
5- सचिव, उत्तरांचल राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तरांचल।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।